हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ 'उत्तरजीविता के अधिकार' की हकदार नहीं

प्रिलिम्स के लिये:

अनुसूचित जनजाति, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005, संविधान का अनुच्छेद 14, हिंदू कानून का मिताक्षरा स्कूल, भारत में विरासत अधिकार।

मेन्स के लिये:

भारत में महिलाओं से संबंधित मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

संसद सदस्य ने सरकार से एक अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है जिसमें हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, 2005 के **विरासत अधिकार** प्रावधानों में अनुसूचित जनजाति समुदाय की महिलाओं को समावेशित किया जाएगा।

- अधिनियम की **धारा 2(2)** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को इससे बाहर रखती है, जिसके परिणामस्वरूप उनके **पिता या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की पैतृक संपत्तियों को प्राप्त करने के उनके समान अधिकारों** की अनदेखी की जाती है।

विरासत अधिकार से संबंधित मुद्दे:

- **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 को वर्ष 2005 में संशोधित किया गया था ताकि बेटियों को उनके पिता या हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्तियों में समान अधिकार दिया जा सके।**
- संसद सदस्य (MoP) ने कहा कि इस अधिनियम में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का बहिष्कार लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण है और यह **भारत के संविधान के अनुच्छेद 14** के खिलाफ है, जो **विधि के समक्ष समानता** की वकालत करता है।
  - इसके अतिरिक्त MoP का तर्क है कि **ऐतिहासिक उत्पीड़न और शिक्षा, रोज़गार एवं संपत्ति तक पहुँच की कमी** के कारण **अनुसूचित जनजाति की महिलाएँ अधिक वंचित** समूह हैं।
- संसद सदस्य ने सरकार से एक अधिसूचना जारी करने का आग्रह किया है जिसमें अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के दायरे में शामिल किया जाएगा, उन मामलों को छोड़कर जहाँ किसी विशेष अनुसूचित जनजाति के रीति-रिवाज में महिलाओं को लाभप्रद स्थिति प्राप्त है।**

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:

- **परिचय:**
  - मिताक्षरा स्कूल हिंदू कानून को **हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956** के रूप में संहिताबद्ध किया गया था, जो **उत्तराधिकार और संपत्ति के उत्तराधिकार** को नियंत्रित करता था लेकिन कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुषों को ही मान्यता दी जाती थी।
- **प्रासंगिकता:**
  - यह **मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी को छोड़कर** सभी पर लागू होता है।
    - इस कानून के लिये **बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायी भी हिंदू** के अंतर्गत आते हैं।
  - परंपरागत रूप से **संयुक्त हिंदू परिवार में केवल एक सामान्य पूर्वज के पुरुष वंशजों** की माताएँ, पत्नियाँ और अविवाहित बेटियाँ होती हैं। कानूनी उत्तराधिकारी संयुक्त रूप से पारिवारिक संपत्ति का स्वामित्व रखते हैं।
- **हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005**:
  - **सितंबर 2005 में 1956 के अधिनियम में संशोधन** के बाद से वर्ष 2005 से **महिलाओं को संपत्ति विभाजन के लिये सह-मालिक/सहदायिक के रूप में मान्यता दी गई थी।**
    - इस **अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया** गया था ताकि एक सहदायिक की पुत्री को भी **जन्म से सहदायिक** बनाया जा सके "

पुत्र की ही तरह उसके अधिकार में रूप में"।

- इसने बेटी को **"सहभागिता संपत्ति (Coparcenary Property) में" समान अधिकार और देनदारियाँ** भी दीं, क्योंकि यदि वह पुत्र होता तो उसे प्राप्त होता।
- कानून **पैतृक संपत्ति** पर और व्यक्तिगत संपत्ति में **उत्तराधिकार को प्रमाणित करने के लिये** लागू होता है, **जहाँ उत्तराधिकार कानून के अनुसार होता है, न कि वसीयत के माध्यम से।**

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/exclusion-of-st-women-from-hindu-succession-act